

फद अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

श्री चारमुजा जी जरिये संरक्षक पुजारी रामस्वरूप पिता केसरलाल पाराशर नि. धौड

बनाम

मांगीलाल पिता छीतर मीणा नि. धौड वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 626/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
25.10.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गोंवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री चारमुजा जी के खातेदारी में दर्ज भूमि जिस पर मैं प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा हूँ जो कि ग्राम बाबाजी का खेडा प. ह. धौड तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 कुल कित्ता 09 रकबा 2.5252 है। स्थित है। उक्त वर्णित मंदिर की कृषि आराजी के अप्रार्थीगण पडौसीगण है जो कि प्रार्थी के साथ सीमा को लेकर आए दिन विवाद करते रहते हैं। अप्रार्थीगण खूंखार एवं लडाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति है। अप्रार्थीगण मंदिर की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। एवं प्रार्थी द्वारा श्रीचारमुजा जी के खेत की मेर आदि की घास फसल आदि काटते समय लडाईं झगडा करने को आमामदा होते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बाबाजी का खेडा प. ह. धौड तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 कुल कित्ता 09 रकबा 2.5252 है. की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 25.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)</p>	